डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87] रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 11 मई 2001—वैशाख 21, शक 1923

राजभवन, रायपुर

दिनांक 11 मई 2001

आदेश

क्रमांक एफ 1-1/2001/रा.स./यू 1.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, दिनेश नंदन सहाय, कुलाधिपति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, प्रोफेसर बी. पी. चन्द्रा को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का कुलपति नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

हस्ता/-
(दिनेश नंदन सहाय)
कुलाधिपति,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर

Raipur, the 11th May 2001

ORDER

No. F 1-1/2001/GS/U-1.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 13 of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), I, D.N. Sahaya, Kuladhipati of the Pt. Ravi Shankar Shukla

Vishwavidyalaya Raipur, hereby appoint Prof. B. P. Chandra to be the Kulpati of the Pt. Ravi Shankar Shukla Vishwavidyalaya. Raipur.

2. His terms and conditions of service will be governed by statute No. 1 of the Vishwavidyalaya.

Sd/-
(D. N. SAHAYA)
Kuladhipati
Pt. Ravi Shankar Shukla Vishwavidyalaya
Raipur.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001